न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 32/2017

1 भंवरसिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद 51 मां वैष्णो थार एन्क्लेव, कालवाड़ रोड़ पोस्ट पांचेवाला, जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 गुलाब सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पैवा नवसृजित तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद सैन कॉलोनी प्रेम नगर प्लॉट नम्बर 21,123 बटालियन के पीछे झोटवाड़ा जयपुर।
2 बहादुर सिंह पुत्र सुगन सिंह।
3 दान सिंह पुत्र सुगन सिंह।
4 धूकल सिंह पुत्र सुगन सिंह।
5 रिछपाल सिंह पुत्र झूंझार सिंह।
6 डूंगर सिंह पुत्र झूंझार सिंह।
7 श्रवण सिंह पुत्र ईश्वर सिंह (मृतक)।
7/1 ओम कंवर पत्नी श्रवण सिंह।
7/2 उषा कंवर पुत्री श्रवण सिंह।
7/3 कृष्णा कंवर पत्नी नौरंग सिंह।
7/4 जयपाल सिंह पुत्र नौरंग सिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कृष्णा कंवर पत्नी नौरंग सिंह।
8 प्रताप सिंह पुत्र ईश्वर सिंह।
9 लक्ष्मण सिंह पुत्र ईश्वर सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 सोहन कंवर पत्नी भंवर सिंह।
11 आनन्द सिंह पुत्र भंवर सिंह।
12 जीवराज सिंह पुत्र भंवर सिंह।
13 उच्छव कंवर पत्नी गुलाब सिंह।
14 देवी सिंह पुत्र गुलाब सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण पेवा नवसृजित तहसील धोद जिला सीकर।
15 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कोतवाली रोड़ सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
16 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धोद जिला सीकर।
17 उप पंजियक सीकर।
18 तहसीलदार तहसील सीकर।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

अपील विरूद्व निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 12.07.2017 द्वारा बउनवानी गुलाब सिंह बनाम बहादुर सिंह आदि मुकदमा नम्बर 406/2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

अपील संख्या 87/2017

1 भंवरसिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद 51 मां वैष्णो थार एन्क्लेव, कालवाड़ रोड़ पोस्ट पांचेवाला, जयपुर।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 गुलाब सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पैवा नवसृजित तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद सैन कॉलोनी प्रेम नगर प्लॉट नम्बर 21,123 बटालियन के पीछे झोटवाड़ा जयपुर।
2 बहादुर सिंह पुत्र सुगन सिंह।
3 दान सिंह पुत्र सुगन सिंह।
4 धूकल सिंह पुत्र सुगन सिंह।
5 रिछपाल सिंह पुत्र झूंझार सिंह।
6 डूंगर सिंह पुत्र झूंझार सिंह।
7 श्रवण सिंह पुत्र ईश्वर सिंह (मृतक)।
7/1 ओम कंवर पत्नी श्रवण सिंह।
7/2 उषा कंवर पुत्री श्रवण सिंह।
7/3 कृष्णा कंवर पत्नी नौरंग सिंह।
7/4 जयपाल सिंह पुत्र नौरंग सिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कृष्णा कंवर पत्नी नौरंग सिंह।
8 प्रताप सिंह पुत्र ईश्वर सिंह।
9 लक्ष्मण सिंह पुत्र ईश्वर सिंह।
10 सोहन कंवर पत्नी भंवर सिंह।
11 आनन्द सिंह पुत्र भंवर सिंह।
12 जीवराज सिंह पुत्र भंवर सिंह।
13 उच्छव कंवर पत्नी गुलाब सिंह।
14 देवी सिंह पुत्र गुलाब सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण पेवा नवसृजित तहसील धोद जिला सीकर।
15 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कोतवाली रोड़ सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
16 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धोद जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 उप पंजियक सीकर।
18 तहसीलदार तहसील सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 12.07.2017 द्वारा बउनवानी गुलाब सिंह बनाम बहादुर सिंह आदि मुकदमा नम्बर 406/2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

उपस्थिति :

1. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री छगन सिंह गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 27-12-17

यह दोनो अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 406/2014 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/वादी गुलाब सिंह ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर सीकर के समक्ष एक किता दावा बउनवानी गुलाब सिंह बनाम बहादुर सिंह आदि बाबत बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा तथा दुरूस्ती इन्द्राजात पेश किया जो बाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद में वास्ते विचारण स्थानान्तरित किया गया। उक्त वाद में वादी द्वारा विवादित कृषि आराजी खसरा नम्बर 419 रकबा 10.67 हैक्टेयर वाके ग्राम पेवा तत्कालीन तहसील सीकर के बंटवारे तथा दुरूस्ती बाबत पेश किया गया। उक्त आराजी में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपना 1/2 हिस्सा होना अंकित किया गया तथा फिर एकतरफा में ही दिनांक 11.02.2017 को उक्त वाद डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी तथा तहसीलदार धोद से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने बाबत आदेश जारी किया गया। उक्त प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय दिनांकित 11.02.2017 के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में दिनांक 25.04.2017 को नियमित अपील प्रस्तुत की गई तथा न्यायालय द्वारा एकतरफा स्थगन बाबत बहस सुनी जाकर दिनांक 02.05.2017 को उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री की इजराय की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने स्थगन आदेश पारित किया गया। उक्त अपील में पारित स्थगन आदेश आज भी प्रभावशील है जिसकी अपील संख्या 32/2017 है तथा जिसमें आगामी तारीख पेशी 01.12.2017 नियत है परन्तु उक्त आदेश के विचाराधीन रहते हुए भी रेस्पोडेंट/वादी ने अन्य प्रतिवादीगण के साथ मिलकर विचारण न्यायालय को मुगालता देकर विचारण न्यायालय ने नियत तारीख पेशी से पूर्व पत्रावली तलब कर दिनांक 22.06.2017 को बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार धोद से प्राप्त होना बताकर इस पर कोई आपत्ति जाहिर कर अंतिम डिक्री पारित किये जाने बाबत सहमती जारी की जिस पर उक्त आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक 12.07.2017 को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत आदेश जारी किया गया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्व पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट भंवरसिंह के नोटिस की तामील उसके भाई के लड़के को देकर पर्याप्त मानी गई है। प्रस्तुत प्रकरण में विवाद ही भाईयों के मध्य है। अपीलांट गत 25 वर्ष से जयपुर में निवास कर रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये इस न्यायालय में अपील लम्बित रहते स्थगन के दौरान अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी नही किये गये है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सम्यक तामील नही होने से जानकारी नही होने से समय पर अपील प्रस्तुत नही की जा सकी है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। अपीलांट के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट ने एकपक्षीय कार्यवाही को मन्सूख करवाने की कोई कार्यवाही नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत में पक्षकारों की सहमती से प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट भंवरसिंह के हस्ताक्षर है। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की प्रारम्भ से जानकारी रही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट भंवरसिंह प्रतिवादी वादी संख्या 02 के रूप में संयोजित है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.03.2015 में प्रतिवादी संख्या 02 अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2017 को उपस्थित पक्षकारों की सहमती से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट भंवरसिंह को दिनांक 27.01.2015 को दिनांक 13.03.2015 के लिये रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.05.2017 पर अपीलांट भंवरसिंह के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन की अपीलांट को विचाराधीन वाद, प्राथमिक डिक्री, विभाजन प्रस्ताव, अन्तिम डिक्री की जानकारी नही थी स्वीकार योग्य नही है। अपीलांट ने जानकारी के पश्चात भी विचारण न्यायालय के समक्ष न तो एक पक्षीय कार्यवाही को मन्सूख करवाने की कोई कार्यवाही की है, न ही विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की है एवं न ही निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही पाई जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री पारित की गई है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है। अपीलांट धारा 5 के आवेदन पर भी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर